फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर**

**स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बनवाली बनाम स्टेट व सुखदेवकौर वगैरा**

**अपील इंतकाल प्रकरण सं. 22/2017**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| 28.02.17 | अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 96 सीपीसी0 के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।<br>स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र आरजी तौर पर स्वीकार किया जाता है एवं जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्टस को आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि अपीलकृत इंतकाल सं0 455 दिनांक 08-02-14 में वर्णित भूमि के संबंध में रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे तथा अपीलकृत भूमि को रहन-- बैय न करें।<br>रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया जावे। पत्रावली दिनांक 06-04-17 को पेश हो। [signature] | ⑤ N.I. [illegible]<br>617<br>28.02.17<br>स्थगन आदेश<br>615<br>28.02.17 |
| 6.04.17 | अपीलांट के अधिवक्ता उप0। रेस्पो0 सं0 2 से 5 के सम्मन बाद तामील - प्राप्त। रेस्पो0 की ओर से श्री प्रवीण सोनी, Adv. ने आ0 ता0 पेशी पर वकालतनामा पेश करने का निवेदन किया। स्थगन आदेश की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 20.04.17 को पेश हो। [signature] | [signature]<br>6/4/17<br>प्रवीण सोनी<br>Adv |
| 20.4.17 | अपीलांट के Ad. उपस्थित। रेस्पो0 सं0 2 से 5 की ओर से श्री संजीव दीक्षित Ad. उपस्थित आए-आ0 पेशी पर वकालतनामा पेश करने का निवेदन किया है। यथास्थिति स्थगन की अवधि आ0 पेशी तक बढ़ाई जाती है। वकील अपीलांट ने प्रा0 पत्र पेश किया- [illegible] रेस्पो0 के | [signature] |

Scanned by CamScanner

31.08.2018

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनवानी प्रकरण में अपीलांट बैंक की वसूली हो चुकी है इसलिए अपीलांट बैंक उक्त अपील को अब न्यायालय में आगे चलाना नहीं चाहता है। अपीलांट बैंक अब उक्त इंतकाल के विरूद्ध अपील को न्यायालय में से वापिस लेकर खारिज करवाना चाहता है। अतः उक्त पत्रावली को आज पेशी में ली जाकर उक्त तथ्यों के परिवेश में अपीलांट बैंक की हद तक उक्त अपील को खारिज करने का आदेश फरमाया जावें। अतः अपीलार्थी के अनवानी अपील आगे नहीं चलाये जाने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

ADJ for Application present by Branch manager Bancala

31.08.18

(पंकज शर्मा) ES.

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner